



प्रेषक,

श्री अजय अग्रवाल

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

विषय:- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक-1) में वेतन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा, परन्तु

कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली वेतनवृद्धि या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

ऐसे मामलों में जहाँ सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी 2016 तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ऐसे मामलों में जहाँ किसी सरकारी सेवक के पद के ग्रेड वेतन का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, वहाँ उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण-1 वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में ही स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण-2 उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में किसी पद पर प्रथम नियुक्त होने वाले कार्मिक अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी कार्मिक के लिये स्वीकार नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण-3 जहाँ कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम-22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का चयन 2. (1). उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को अपना विकल्प लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर देना होगा। यह विकल्प सम्बन्धित कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतनपर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिए, परन्तु

(i) ऐसे सरकारी सेवक जो उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि को अवकाश पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश के बाहर हैं, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जायेगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन माह के अन्दर उक्त प्राधिकारी के पास पहुँच जाय।

(ii) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी दिनांक 01 जनवरी 2016 को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

यदि निलम्बन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी इयूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अन्दर कर सकता है।

(2). सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने विकल्प की सूचना इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-3) पर एक वचनबंध (Undertaking) के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी। कार्यालय प्रमुख/वेतन निर्धारण करने वाला अधिकारी वचनबंध प्राप्त किये बिना सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। वचनबंध को सम्बन्धित कर्म की सेवा पुस्तिका में सुरक्षित रखना उक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3). यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपना विकल्प इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह की अवधि में सम्बन्धित प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4). एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पणी-1 ऐसे व्यक्तियों, जिनकी सेवायें दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात समाप्त कर दी गयी थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, वह उपर्युक्त प्रस्तर के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी-2 ऐसे व्यक्तियों, जिनकी दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात मृत्यु हो गयी, जिसके कारण वह नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिये सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तिथि से इस संशोधित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

टिप्पणी-3 ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जिसके लिये उन्हें अवकाश वेतन देय बनता है, पर थे, उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।

वर्तमान परिलब्धियों की गणना	3. किसी कर्मचारी की “वर्तमान परिलब्धियाँ” का आशय दिनांक 01 जनवरी 2016 को आहरित मूल वेतन एवं उस पर देय मँहगाई भत्ते के योग से है, अर्थात् सम्बन्धित कार्मिक को उसके साधारण वेतनमान अथवा समयमान
--	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

वेतनमान/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रोन्नति वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड/ वित्तीय स्तर/वेतनमान/उच्च वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी 2016 को प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उस पर देय मँहगाई भत्ते के योग से है। साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, परिलब्धियों में सम्मिलित माना जायेगा।

पदों का स्तर 4. वेतन मैट्रिक्स में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण पद हेतु विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर (Level) के आधार पर होगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण 5. (1) कोई सरकारी सेवक, जो वेतन मैट्रिक्स में उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा बाद की तिथि से विकल्प का चयन करता है या निर्धारित समयावधि में उसके द्वारा कोई विकल्प न दिये जाने के कारण यह मान लिया जाता है कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2016 से वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने का विकल्प दिया है, का वेतन मैट्रिक्स में वेतन, उसे मौलिक पद पर प्राप्त हो रहे मूलवेतन एवं उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के मूलवेतन के आधार पर निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जायेगा:--

(अ). सभी कर्मचारियों के मामले में

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य (Applicable) लेवल में सम्बन्धित कार्मिक का मूलवेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूलवेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरूपी (Corresponding) कोई समरूप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूलवेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य लेवल के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूलवेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) उसके वर्तमान मूलवेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूलवेतन, उस प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

उदाहरणस्वरूप-वेतन बैंड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 के पदधारक, जिसका दिनांक 01 जनवरी 2016 को बैंड वेतन रू0 10160 था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक-4 के अनुसार किया जायेगा।

(ब). चिकित्सा अधिकारियों के मामले में

ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मिल रहा है, उनका पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:--

(i) वर्तमान मूलवेतन को 2.57 से गुणा किया जायेगा और संशोधन पूर्व प्राप्त हो रहे प्रैक्टिस बन्दी भत्ते पर मँहगाई भत्ते के बराबर राशि जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका (Cell) में समरूप (Identical) राशि विद्यमान है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूलवेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई राशि किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो उसके मूलवेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के स्तर पर किया जायेगा।

(ii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दरों में संशोधन किये जाने तक उपरोक्तानुसार निर्धारित मूलवेतन पर प्राप्त हो रहा पूर्व प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा, परन्तु उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल वेतन एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ते का योग रू0 2,37,500/- से अधिक नहीं होगा।

(iii) जिन चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय नहीं है, उनका वेतन निर्धारण उपर्युक्त उपप्रस्तर-(अ) के अनुसार किया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप- ऐसे चिकित्साधिकारी, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय है, और जिसका दिनांक 01 जनवरी 2016 को वेतन बैंड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में बैंड वेतन रू0 15600 था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक-5 के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उपप्रस्तर-(अ) एवं (ब) के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक का मौलिक पद एवं स्थानापन्न पद के संदर्भ में निर्धारित मूलवेतन में से जो अधिक होगा, वेतन मैट्रिक्स सम्बन्धित कार्मिक का पुनरीक्षित मूलवेतन होगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन देय है, तो वह दिनांक 01 जनवरी 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

(3) कोई सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अध्ययन अवकाश पर है तो वह दिनांक 01 जनवरी 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

(4) निलम्बन के अधीन सरकारी सेवक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन निर्धारण, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिये जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(5) यदि स्थायी सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत है तथा इन दोनों पदों (स्थायी पद एवं स्थानापन्न पद) के लिये लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का विलय एक ही लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उपर्युक्त प्रस्तर-5(1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका वास्तविक मूलवेतन माना जायेगा।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में वर्तमान परिलब्धियाँ “पुनरीक्षित परिलब्धियों” से अधिक हैं, तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

(7) यदि कोई सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में अपने संवर्ग के किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका मूलवेतन कनिष्ठ से कम निर्धारित होता है, तो उसका मूलवेतन कनिष्ठ के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(8) यदि किसी सरकारी सेवक को इस शासनादेश के निर्गत होने के पूर्व वैयक्तिक वेतन मिल रहा है और पुनरीक्षण के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन और वैयक्तिक वेतन का योग पुनरीक्षित मूलवेतन से अधिक हो जाता है, तो अन्तर की धनराशि उस सरकारी सेवक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जायेगी और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

(9) (i) ऐसे मामलों में जहाँ कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अपने कनिष्ठ जिसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है, से कम वेतन निर्धारित होता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसके कनिष्ठ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे एक ही संवर्ग में समरूप (Identical) पद हों,

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल समरूप (Identical) हों,

(ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूलवेतन के बराबर या उससे अधिक मूलवेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम-22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियन्त्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो,

बशर्ते कि यदि किसी कनिष्ठ सरकारी सेवक को दी गयी किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो ऐसे मामलों में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी अर्थात् वरिष्ठ अधिकारी का मूलवेतन कनिष्ठ के समान नहीं किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त उपप्रस्तर-(9)(i) के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश मूल नियम-27 के अधीन जारी किये जायेंगे। वरिष्ठ अधिकारी को अगली वेतनवृद्धि उसके वेतन पुनर्निर्धारण के पश्चात अपेक्षित अर्हकारी सेवा पूरी करने की तिथि से देय होगी।

01 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों

दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का मूलवेतन उस पद, जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) पर निर्धारित किया जायेगा।

बशर्ते, कि दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात और इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

का वेतन निर्धारण

वेतन, वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुसार वर्तमान परिलब्धियाँ उस पद, जिस पर उसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) से अधिक हो जाती है तो ऐसे अन्तर का भुगतान उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में किया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि

7. वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वह होगा, जो उसे वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन से उक्त लेवल में लम्बवत् चलन के फलस्वरूप अगली कोष्ठिका की राशि है।

उदाहरणस्वरूप-यदि किसी कार्मिक का मूल वेतन वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल-4 (ग्रेड वेतन ₹0 2400 के सादृश्य) में ₹0 32300 के स्तर पर निर्धारित है, तो अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप उसका मूलवेतन उस प्रयोज्य लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि अर्थात् ₹0 33300 होगा और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि के फलस्वरूप उसका वेतन उस प्रयोज्य लेवल में उससे अगला अर्थात् ₹0 34300 हो जायेगा।

वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

8. (1). 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

(2). ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को वेतनवृद्धि

01 जनवरी को दी जायेगी और ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिया गया है, को वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।

उदाहरण-

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरों के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरों के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

**वेतन
मैट्रिक्स में
पदोन्नति
पर वेतन
निर्धारण**

9. (1) दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा उसके पश्चात किसी कर्मचारी की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरों के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर उसका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जायेगी जिससे कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गयी है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य राशि तलाशी जायेगी। यदि उक्त लेवल के किसी कोष्ठिका में उक्त राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध है तो वही राशि उसका मूलवेतन होगा और यदि वह राशि उस लेवल, जिसमें प्रोन्नति दी गयी है, की किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण संलग्नक-6 पर है।

(2) किसी कर्मचारी के पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद और इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है और उच्चीकृत ग्रेड वेतन/वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्मिक का दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उपर्युक्त प्रस्तर-6 की व्यवस्था के अनुसार पहले वेतन निर्धारित किया जायेगा। इसके उपरान्त वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के उच्चीकरण की तिथि को उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा पूर्वगामी तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूल वेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत ग्रेड वेतन के सादृश्य लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा।

(3) ऐसे मामले, जिनमें वेतन मैट्रिक्स में किसी पद हेतु निर्धारित लेवल का उच्चीकरण इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद होता है, उनमें उच्चीकरण की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

वेतन मैट्रिक्स ने सम्बन्धित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूलवेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण संलग्नक-7 पर है।

अवशेष भुगतान की प्रक्रिया 10. इस शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मँहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी 2017 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2017 को देय) से नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान 02 समान किशतों में निम्नानुसार किया जायेगा:-

- (i) अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नगद भुगतान की जाने वाली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी। उक्तानुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से 01 वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

(iii) ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा करा दिया जायेगा।

(iv) नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। अवशेष की शेष 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा करा दी जायेगी।

11. विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनको शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के लिये भी इस शासनादेश द्वारा की जा रही वेतन निर्धारण की व्यवस्था लागू होगी।

12. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स संलग्नक-1, विकल्प का प्रारूप संलग्नक-2, वचनबंध का प्रारूप संलग्नक-3 तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-4, 5, 6 व 7 पर उपलब्ध हैं।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

**भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-67/2016/वे0आ0-2- 1447(1)/दस-04 (एम)/2016. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-। एवं ॥ तथा (आडिट)- । एवं ॥ उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-1**पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स**

वेतन बैंड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000			
10	11	12	13	13क	14	15	16	17
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
71100	85800	99800	150200	166100	182700			
73200	88400	102800	154700	171100	188200			
75400	91100	105900	159300	176200	193800			
77700	93800	109100	164100	181500	199600			
80000	96600	112400	169000	186900	205600			
82400	99500	115800	174100	192500	211800			
84900	102500	119300	179300	198300	218200			
87400	105600	122900	184700	204200				
90000	108800	126600	190200	210300				
92700	112100	130400	195900	216600				
95500	115500	134300	201800					
98400	119000	138300	207900					
101400	122600	142400	214100					
104400	126300	146700						
107500	130100	151100						
110700	134000	155600						
114000	138000	160300						
117400	142100	165100						
120900	146400	170100						
124500	150800	175200						
128200	155300	180500						
132000	160000	185900						
136000	164800	191500						
140100	169700	197200						
144300	174800	203100						
148600	180000	209200						
153100	185400							
157700	191000							
162400	196700							
167300	202600							
172300	208700							
177500								

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-2**विकल्प का प्रारूप**

*1. मैं, ... 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*2. मैं, ... अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर रुपये हो जाए/मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/ के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन

हस्ताक्षर-.....

नाम-.....

पदनाम-.....

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं-.....

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर-.....
 नाम-.....
 पदनाम-.....

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-4**वेतन मैट्रिक्स में कार्मिक के वेतन निर्धारण हेतु उदाहरण।****सामान्य मामलों में वेतन निर्धारण**

1. सम्बन्धित कार्मिक का विद्यमान वेतन बैंड: पी0बी0-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन: रु0 2400 2. वेतन बैंड में विद्यमान बैंड वेतन: रु0 10160 3. विद्यमान मूल वेतन: रु0 12560 (10160+2400) 4. मूल वेतन को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् धनराशि: $12560 \times 2.57 = 32279.20$ (32279 में पूर्णांकित) 5. वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रु0 2400 के तदनुरूपी लेवल, लेवल 4 में उक्त पूर्णांकित धनराशि रु0 32279 के स्तर की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण उससे अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि- रु0 32300 के स्तर पर वेतन निर्धारित होगा।	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300	37000
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-5

**ऐसे चिकित्साधिकारियों, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय है, के वेतन
निर्धारण का उदाहरण।**

1. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का विद्यमान वेतन बैंड: पी0बी0-3 रु0 15600-39100

2. ग्रेड वेतन: रु0 5400

3. सम्बन्धित का वेतन बैंड में बैंड वेतन: रु0 15600

4. सम्बन्धित का मूल वेतन: रु0 21000

5. सम्बन्धित को देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता- मूल वेतन का 25 % अर्थात् - रु0 5250

6. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की धनराशि रु0 5250 पर 125% की दर से मँहगाई भत्ता- रु0 6563

7. मूल वेतन को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् धनराशि- $21000 \times 2.57 = \text{रु0 } 53970$

8. क्रम सं0 6 व 7 का जोड़- रु0 60533

9. वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रु0 5400 के तदनुरूपी लेवल, लेवल 10 में उक्त पूर्णांकित धनराशि रु0 60533 के स्तर की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण उससे अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि- रु0 61300

10. सम्बन्धित का निर्धारित वेतन -रु0 61300

11. संशोधन पूर्व प्रैक्टिस बन्दी भत्ता- रु0 5250

वेतन बैंड	15600-39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-6

दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन ₹0 2400 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल, लेवल 4 2. वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन-₹0 28700 3. प्रोन्नति/एसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप लेवल- लेवल 5 4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिये जाने के पश्चात् वेतन: ₹0 29600 5. लेवल 5 में ₹0 29600 की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि ₹0 30100 सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन- ₹0 30100	वेतन बैण्ड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-7

दिनांक 01 जनवरी, 2016 के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक के पद का लेवल (ग्रेड वेतन) को उच्चीकृत किये जाने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित कार्मिक के पद का उच्चीकरण के पूर्व का मैट्रिक्स लेवल-4 2. सम्बन्धित कार्मिक का मैट्रिक्स लेवल-4 में मूल वेतन- ₹0 30500 3. उच्चीकृत मैट्रिक्स लेवल-5 4. उच्चीकृत मैट्रिक्स लेवल-5 में अगली कोष्ठिका की राशि- 31000 5. सम्बन्धित कार्मिक लेवल-5 में निर्धारित मूल वेतन- ₹0 31000	वेतन बैण्ड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है